5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(26)

/निगरानी/मन्दसौर/भू-रा/2017/1739

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

1. परसराम पिता नानालाल जी जाति मीणा आयु-55 वर्ष
निo ग्राम जमूनिया तेहसील शामगढ जिला मंदसौर म0प्र0
2. मन्नालाल पिता नानालाल जी जाति मीणा आयु- वर्ष
करीबन निवासी ग्राम जमूनिया तेहसील शामगढ जिला मंदसौर ---- निगरानी - कर्ता गण

विरुद्ध

दाणीसिंह पिता उदेसिंह जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम
ढाबलागुर्जन तेहसील शामगढ जिला मंदसौर मध्य-प्रदेश ---- प्रप्रार्थीगण

निगरानी अर्ज अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागणो की ओर से यह निगरानीअर्ज माननीय अधिनस्थ योग्य न्यायालय श्रीमान तेहसीलदार महोदय शामगढ के व्दारा रेवेन्यु प्रकरण कंमाक 45अ/6/16-17 में दिनांक 23.08.16 को पारित आदेश से असतुष्ट व दूखी होकर के निम्नाकिंत कारणो से प्रस्तुत की जा रही होकर के निवेदन है कि :-

Fa औ
पृ /
Fe 12.6.17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / मन्दसौर / भू.रा. / 2017 / 1739

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 23–8–16 के विरूद्ध लगभग 10 माह बाद निगरानी पेश की गई है । प्रश्नाधीन आदेश आवेदक की उपस्थिति में किया गया था । अतः तहसीलदार के आदेश के प्रकाश में विलम्ब का कारण समाधानकारक एवं सद्भाविक न होने के कारण यह निगरानी समयबाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	